राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

सरपंच पुस्तिका

रोजगार गारंटी
ज़ोरदार गारंटी

सत्यमेव जयते

NREGA
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

NREGA
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम

NREGA
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम

सरपंच पुस्तिका

विषय वस्तु

सरपंचो के नाम मंत्री जी का पत्र
भूमिका
परिचय

अध्याय–1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की प्रक्रियाएं
अध्याय–2 रोजगार का अधिकार
अध्याय–3 काम
अध्याय–4 मजदूरी
अध्याय–5 पारदर्शिता एवं जिम्मेवारी
अध्याय–6 सामाजिक अंकेक्षण
अध्याय–7 शिकायत निवारण
अध्याय–8 दस्तावेज, एम. आई.एस और मासिक रिपोर्ट
अध्याय–9 ध्यान रखें

सत्यमेव जयते

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह
ग्रामीण विकास मंत्री

ग्रामीण विकास मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली – 110 001
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI - 110 001

अ.शा.पत्र सं0 जे–11060 / 1 / 2008–एनआरईजीए
दिनांक अप्रैल, 2008

प्रिय मुखिया जी,

मैं आपको यह पत्र राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) के संबंध में लिख रहा हूँ। एनआरईजीए एक ऐसा अधिनियम है जो रोजगार के लिए आवेदन करने वाले और अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक परिवार को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है।

2. अधिनियम में एनआरईजीए के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायत को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। ग्राम पंचायत उन सभी प्रमुख कार्यों के लिए जिम्मेवार है जिससे रोजगार की आवश्यकता वाले स्थानीय परिवार विशेषकर उस ग्राम पंचायत में रहने वाले गरीब परिवारों को इस अधिनियम का लाभ मिल सके। ग्राम पंचायत का सरपंच होने के नाते आपको एनआरईजीए के अंतर्गत मुख्य भूमिका निभानी है। पहला और सबसे प्रमुख कार्य यह है कि आप अधिनियम के प्रावधानों और प्रक्रियाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करें ताकि स्थानीय लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो और उन्हें मजदूरी कमाने का अवसर मिल सके। अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय परिवार जॉब कार्ड के पंजीकरण के लिए ग्राम पंचायत को मौखिम या लिखित रूप से आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले सभी परिवार जॉब कार्ड के पात्र हैं चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) हों अथवा उनकी रोजगार स्थिति कैसी भी हो। ग्राम पंचायत पंजीकृत परिवार का फोटोग्राफ युक्त जॉब कार्ड आवेदन करने के 15 दिन के भीतर निःशुल्क जारी करे। जॉब कार्ड धारक परिवार ग्राम पंचायत को रोजगार के लिए लिखित आवेदन दे सकता है। ग्राम पंचायत तारीखयुक्त पावती जारी करे। यह एक सांविधिक दायित्व है। ग्राम पंचायत आवेदक को कार्य आबंटिक करेगी तथा उसके द्वारा किए गए कार्य की नियमित माप करेगी और उसकी निगरानी करेगी। ग्राम पंचायत एनआरईजीए के लिए अनुमोदित कार्यों में से कम से कम 50 प्रतिशत कार्य करेगी। इस कार्य के लिए उसे ब्लॉक स्तरीय एनआरईजीए कार्यक्रम अधिकारी संख्यायुक्त मस्टररोल देंगे। आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करना है कि कार्य स्थल पर प्रमाणिक मस्टररोल रखे जाएं। कार्य स्थल पर प्रमाणिक मस्टररोल का न होना अथवा मस्टररोल में गलत उपस्थिति दर्ज करना अधिनियम के अंतर्गत गंभीर त्रुटि और अपराध है तथा आप यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करें कि मस्टररोलों में किसी प्रकार की अनियमितताएं न हो। कार्य किए जाने के एक सप्ताह के भीतर मजदूरी

का भुगतान किया जाए तथा किसी भी परिस्थिति में 15 दिन से अधिक का समय न लगे। अधिनियम के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत को ग्राम सभा का आयोजन करना होता है तथा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए अपनी सिफारिशें करनी होती है। कार्यों की स्वीकृत सूची में से कार्यों का चयन किया जाना होता है जिसमें विशेषकर जल संरक्षण, भूमि विकास, पौधरोपण, लघु सिंचाई कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बीपीएल परिवारों और इंदिरा आवास योजना तथा आबंटित भूमि के लाभार्थियों की भूमि पर भी कार्य किए जा सकते हैं।

3. एनआरईजीए के अंतर्गत आपकी भूमिका को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सहायता करने के लिए मैं अधिनियम को इसकी मूल भावना के अनुरूप कार्यान्वित करने में सहायक निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर जोर देना चाहूँगा :—

क.) जागरूकता सृजनः अधिनियम की प्रक्रियाओं और कार्यविधियों का स्थानीय लोगों के बीच व्यापक प्रचार—प्रसार किया जाए। इसे स्थानीय भाषा में ग्राम पंचायत तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी लगाया जाए तथा चित्रों का भी उपयोग किया जाए। अधिनियम के अंतर्गत रोजगार मांगने वाले लोगों का पता लगाने के लिए घर—घर जाकर सर्वेक्षण किया जाए।

ख.) जनभागीदारीः नियमित रूप से ग्राम सभा आयोजित की जाए तथा इसका उपयोग एनआरईजीए के बारे में जानकारी का प्रचार—प्रसार करने के लिए किया जाए। एनआरईजीए के अंतर्गत काम कर रहे या काम शुरू करने वाले श्रमिक ग्राम सभाओं में उपस्थित रहें। निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाए।

ग.) सतर्कता एवं निगरानीः ग्राम स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों का गठन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाए तथा यह ध्यान रखा जाए कि उन समितियों में श्रमिकों के प्रतिनिधि भी शामिल हों। यह समिति शुरू किए गए कार्यों तथा दी गई मजदूरी की जांच करेगी।

घ.) पारदर्शिताः पारदर्शिता एनआरईजीए की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। दस्तावेजों और प्रक्रियाओंके माध्यम से पारदर्शिता अर्थात खुलापन सुनिश्चित किया जाता है।

खुलापन लाने के लिए मुख्य दस्तावेजों में जॉब कार्ड सबसे महत्वपूर्ण हैं। कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि जॉब कार्ड उसी व्यक्ति के पास हो जिसके नाम से इसे जारी किया गया है और इसे ग्राम पंचायत में न रखा जाए और न किसी व्यक्ति को अंतरित किया जाए। जॉब कार्ड में इंदराज नियमित रूप से किए जाए। दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज मस्टर रोल है जिसे कार्य स्थल पर रखा जाए और उसमें कोई गलत जानकारी नहीं हो। प्रक्रियाओं के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि कार्य के लिए आवेदन करने वालों को ग्राम पंचायत द्वारा तारीखशुदा रसीद जारी की जाएं और ग्राम सभा द्वारा उसकी सामाजिक लेखा परीक्षा की जाएं। एनआरईजीए के अंतर्गत प्रत्येक कार्य स्थल पर नागरिक सूचना बोर्ड स्थापित किया जाए जिसमें कार्य का नाम, वित्तीय और तकनीकी अनुमान, अनुमानित परिमाण और कार्य की अंतिम स्थिति जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारी लिखी जाए।

एनआरईजीए के संबंध में सभी महत्वपर्ण जानकारी जैसे जारी किए गए जॉब कार्ड,

कार्य के लिए प्राप्त आवेदन, आबंटित कार्य, शुरू किए गए कार्य, प्राप्त की गई निधियां और व्यय ग्राम पंचायत कार्यालय के परिसर में स्वैच्छिक रूप से दर्शाई जाए। अन्त में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्रमिकों को मजदूरी के वितरण में पूरी पारदर्शिता बरती गई है, बैंक शाखाओं अथवा पोस्ट आफिस में उनके खाते खोले जाएं।

4. इन सभी विविध जिम्मेदारियों को पूरा करने में ग्राम पंचायत को मदद करने के लिए केन्द्र सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए पूर्णकालिक समर्पित ग्राम रोजगार सहायक की तैनाती के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। आप ही यह निश्चित करें कि आपकी ग्राम पंचायत के लिए एक समर्पित ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की गई है। कार्यों के प्राक्कलन, मापन और निरीक्षण के संबंध में 5—10 ग्राम पंचायतों को सेवा उपलब्ध कराने के लिए ब्लॉक स्तर पर अतिरिक्त तकनीकी सहायकों की नियुक्ति करनी होती है। केन्द्र सरकार ने ग्राम पंचायतों में काम में आने वाले फर्नीचर की खरीद की अनुमति दी है ताकि कर्मचारियों को कार्य करने और अभिलेख रखने में मदद मिल सके। जिला प्रशासन द्वारा ब्लॉक स्तर पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से सभी सरपंचों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करने होते हैं। मुझे आशा है कि आपने पहले भी ऐसे प्रशिक्षणों में भाग लिया होगा। जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण सतर्कता एवं निगरानी समितियों के प्रशिक्षण के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और मुझे उम्मीद है कि आपकी पंचायत के लिए भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया होगा। ऐसे प्रशिक्षण से आपको अधिनियम की कार्यप्रणाली के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त होगी जिससे आपको इसे कारगर ढंग से कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी। मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त निधियों अथवा एनआरईजीए के लिए समर्पित एनआरईजीए खाता खोले गए हैं और समय पर पर्याप्त निधियां प्राप्त होती हैं।

5. इस तरह एनआरईजीए ग्राम पंचायत के लिए बड़ा अवसर है जिससे वह अपने स्थानीय ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ाने और क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के सतत् विकास में प्रबल योगदान कर सकते हैं। यह उस स्थानीय स्वशासन के लोकतांत्रिक आधार को मजबूत करने का भी महत्वपूर्ण अवसर है जिसकी एक इकाई का प्रतिनिधित्व आप सरपंच के रूप में करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी ग्राम पंचायत में इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शक भूमिका निभाएं।

सादर,

आपका

(रघुवंश प्रसाद सिंह)

मुखिया
ग्राम पंचायत

भूमिका

भारत के ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में यह पहला अवसर है जब ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार के अधिकार को एक कानून के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। यह एक क्रान्तिकारी कदम है क्योंकि न केवल यह भारत का बल्कि विश्व का पहला ऐसा कानून है जिसमें अकुशल काम के लिए इच्छुक ग्रामीण श्रमिकों को वर्ष में 100 दिन तक का, मॉग आधारित काम आबंटित किया जाता है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जॉब कार्ड बनने के बाद काम मॉगना श्रमिक का कानूनी अधिकार है।

कानून के उपरोक्त महत्वपूर्ण पक्षों को वास्तविक रूप देने के लिए पंचायतों को प्रमुख भूमिका निभानी है और तृणमूल पर ही स्वयं के लिए उपयुक्त ऐसे कार्यो का, जो स्थायित्वपूर्ण विकास में सहायक हों, ग्राम सभा में जन सहभागिता द्वारा चयन करना, पंचायतों का दायित्व है। अतः पंचायत के सभी प्रतिनिधियों को कानून के सफल और श्रेष्ठ कियान्वयन के लिए कटिबद्ध होना आवश्यक है। इन सभी प्रतिनिधियों में भी सर्वाधिक जिम्मेदारी सरपंच की है, इसलिए उन्हें इस कानून के सभी पक्षों की जानकारी होना अति आवश्यक है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का कियान्वयन एक ऐसी सतत् प्रकिया है जिसमें कानून के दयरे में रहते हुए भी नई कार्यपद्धतियाँ सीखने और नवीन विचारों को लागू करने की क्षमता है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं की मुख्य भूमिका है, लेकिन उनमें भी ग्राम पंचायत की ही सर्वाधिक जिम्मेदारी है। जब तक ग्राम पंचायत सजग और सुदृढ नहीं होगी कोई भी कार्य ठीक–ठीक संपादित नहीं किया जा सकेगा। इसलिए यह पुस्तिका सरपंचों को जागरुक करने का साधन हो सकती है।

अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र के परिवारों के गरीबी उन्मूलन, पलायन पर रोक और सम्मानजनक जीवनयापन के लिए सरपंच तब ही सक्षम हो सकते हैं जब वे कानून की सभी प्रकियाओं को ठीक –ठीक समझें। उनके लिए यह समझना भी आवश्यक है कि ये सभी प्रकियाएं चरणबद्ध और समय निर्धारित होती हैं।

प्रस्तुत पुस्तिका में सरपंचों के लिए उन सभी प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया है जिनके आधार पर वे सुनिश्चित एवं सुदृढ कार्ययोजना को कियान्वित कर सकते हैं। यह पुस्तिका केवल सरपंचों के लिए ही उपयोगी नहीं है वरन् इसमें नरेगा के कियान्वयन में संलग्न सभी अधिकारियों को भी स्वयं की जिम्मेदारियों की जानकारी मिल सकती है। समय–समय पर ग्रामीण विकास मंत्रालय आदेशों, संशोधनों और पत्रों को जारी करता है। इन पत्रों के द्वारा सभी को सूचना प्रेषित की जाती है। ऐसी जानकारियों को भी इस पुस्तिका में सम्मिलित किया गया है।

परिचय

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक ऐसा कानून है जिसमें ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को, जो अकुशल कार्य करने के इच्छुक हों, वर्ष में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है।

5 सितंबर, 2005 को भारत की संसद ने इस कानून को पारित किया। पहले चरण में 2 फरवरी, 2006 को इस कानून को 200 ऐसे जिलों में लागू किया गया जो बहुत पिछडे थे। दूसरे चरण में कानून को 130 जिलों में लागू किया गया। 1 अप्रैल 2008 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को सम्पूर्ण भारत में लागू किया जा रहा है। इसमें ग्राम सभा और वार्ड सभा द्वारा कार्य योजना को तैयार किया जाता है और यह पंचायत की जिम्मेवारी होती है कि वह इन सभाओं को आयोजित करे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में ग्राम पंचायत मुख्य कियान्वयन संस्था है।

सरपंच के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम तीन प्रकार से सहायक है। इसके माध्यम से एक ग्राम पंचायत के लिए वित्त, कार्य एवं कार्मिक सुनिशचित किया गया है।

अधिनियम का उद्देश्य

देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की आजिविका की सुरक्षा के लिए प्रत्येक ऐसे परिवारों को, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए अपनी इच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों तक का गारंटीकृत काम उपलब्ध कराकर, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना।

पुस्तिका के उद्देश्य

प्रस्तुत पुस्तिका के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :–

1. अधिनियम के लिए सरल पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना
2. सरपंचो को अधिनियम को समझने में मदद करना
3. ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा जारी समस्त सूचनाओं की जानकारी प्रदान करना।

इनके अतिरिक्त, पुस्तिका के उद्देश्य सरपंचों की कार्यक्षमता वृद्धि करना है जिससे वे अधिनियम को उत्कृष्ट रूप में लागू करने में समर्थ हों। सभी सरपंच श्रेष्ठता को तब ही पा सकते हैं जब वे अधिनियम में निर्धारित नियमों और प्रकियाओं को समझें और उन पर कायम रहें।

क्रियान्वयन के आयाम

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के लिए तय आयामों को जानना आवश्यक है। सरपंच पुस्तिका इन्हीं का विवरण और उनके माध्यम से श्रेष्ठता को पाने के बारे में बताती है।

अधिनियम क्रियान्वयन में श्रेष्ठता पाने वाले सरपंचों के लिए भारत सरकार ने पुरस्कार की भी व्यवस्था की है। यहॉ उन आयामों की सूची दी जा रही जिनकी प्रगति की जॉच एक सरपंच को बार–बार करनी चाहिए।
ये निम्न प्रकार हैं–

1. सूचना, शिक्षा एवं संचार
2. प्रशिक्षण
3. वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण
4. दस्तावेजों का रखरखाव
5. नियोजन
6. प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली
7. कार्य स्थल की सुविधाएं
8. जॉच
9. ग्राम सभा
10. समाचार प्रबन्धन
11. निगरानी एवं जॉच समिति
12. सामाजिक अंकेक्षण
13. सूचना एवं अनुश्रवण प्रणाली ;एम.आई.एसद्ध
14. शिकायत निवारण प्रबन्धन एवं निबटारा
15. संयोजन
16. बैंक एवं पोस्ट ऑफिस के साथ समन्वय तथा
17. प्रत्येक परिवार के मानवदिवसों की संख्या, महिलाओं की भगीदारी, ग्रामीण परिवारों की संख्या जिनको जॉब कार्ड जारी किये गये, समुदायों का सशक्तिकरण, पलायन पर रोक, श्रम की उचित मजदूरी के लिए बहस करने लिए क्षमता वृद्धि।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून की प्रक्रियाएं

1

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून की प्रक्रियाएं

कानून के श्रेष्ठ कियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों तक इस कानून का लाभ पहुँचे। इन परिवारों के अन्तर्गत वही परिवार आ सकते हैं जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हों, इसलिए सरपंचों को निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए –

सरपंचों को नियमित ग्राम सभाओं का आयोजन कराना कानूनी रुप से अनिवार्य है। सभी ग्राम सभाओं की समस्त कार्यवाही की वीडियो फिल्म भी तैयार करायी जानी चाहिए। फिल्म को, टेप, सीडी, अथवा अन्य किसी संचार माध्यम के रुप में, उचित कोड देकर, जिले में ग्राम पंचायत, जिला कार्यकम समन्वयक और ब्लॉक कार्यकम अधिकारी के पास रखा जाना चाहिए। फिल्म का उपयोग जिला कार्यकम समन्वयक, ब्लॉक कार्यकम अधिकारी और ग्राम पंचायत, ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने और नरेगा कानून के सुचारू कियान्वयन के लिए किया जा सकेगा।

सरपंचों को यह ध्यान देना चाहिए कि प्रकिया के महत्वपूर्ण चरणों का पालन हुआ या नहीं। ये चरण निम्नलिखित हैं–

1. <u>पंजीकरण:</u> ऐसे सभी ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों का उनकी पंचायत में पंजीकरण हो
   गया हो जो अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हों।
2. <u>विवरण:</u> ऐसे सभी ग्रामीण परिवारों ने, पंजीकरण के लिए ग्राम पंचायत में अपने नाम, आयु, और पते का विवरण जमा किया हो।
3. <u>जॉच:</u> ग्राम पंचायत का काम होगा कि वह यह जॉच करे कि जिन परिवारों ने पंजीकरण के लिए विवरण जमा किया है वे उन्हीं गॉवों के निवासी है और उनकी आयु सही है या नहीं। वे काम करने के लिए इच्छुक होने चाहिए।
4. <u>जॉब कार्ड:</u> जॉच पूरी करने के बाद ग्राम पंचायत, पन्द्रह दिनों के अन्दर, परिवार को जॉब कार्ड जारी करेगी। इस जॉब कार्ड पर सभी वयस्क सदस्यों के नाम, आयु और फोटो लगाना अनिवार्य है। यह जॉब कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए विवरण के अनुसार भी बनाया जा सकता है।
5. <u>समानता:</u> परिवारों के पंजीकरण में जाति, लिंग अथवा अन्य किसी भी प्रकार का भेद–भाव नहीं होना चाहिए। पंजीकरण करवाने हेतु सभी ग्रमीण निवासी जो कि अकुशल श्रम करने के इच्छुक हों, समान हैं।
6. <u>पंजीकरण की वैधता:</u> यह पंजीकरण पांच वर्षों के लिए वैध होगा।

इनको जानें
1. अस्थाई निवास के दौरान ग्रामीण श्रमिक उस क्षेत्र की ग्राम पंचायत या कार्यकम अधिकारी से पंजीकरण और जॉब कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
2. ऐसे श्रमिक अस्थाई निवास वाले क्षेत्र की ग्राम पंचायत या कार्यकम अधिकारी से, काम के लिए लिखित या मौखिक आवेदन कर सकते हैं।
3. वे दोबारा पंजीकरण और जॉब कार्ड को दोबारा जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्थिति सामान्य होने पर, अस्थाई निवास वाला जॉब कार्ड मूल जॉब कार्ड के साथ मिला दिया जाना चाहिए।

जॉब कार्ड से सम्बन्धित, 2008 के एक अन्य पत्र में निम्न आदेश दिया गया हैं–
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जॉब कार्ड सम्बन्धित व्यक्ति के पास ही रहे तथा उसमें अनिवार्य सूचना के अतिरिक्त अन्य कोई सूचना न लिखी गयी हो।
- जॉब कार्ड में पंजीकृत वयस्क सदस्यों का विवरण होना चाहिए। जॉब कार्ड पर उसकी संख्या, परिवार द्वारा मांगे गए कामों का विवरण और रोजगार प्राप्ति, किए गए कामों का विवरण, तारीख और काम के दिनों का विवरण, जिन मस्टर रोलों से भुगतान किया गया हो उनकी संख्या, मजदूरी भुगतान की राशि तथा अगर बेरोजगारी भत्ता दिया गया हो तो उसका विवरण। जॉब कार्ड पर पोस्ट ऑफिस/ बैंक खाते की संख्या बीमा पॉलिसी की संख्या, ई0पी0आई0सी0 नम्बर और मतदाता पहचान पत्र की संख्या भी दी जा सकती है।
- सभी सूचनाओं का सत्यापन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिए। जॉब कार्ड में केवल वयस्क पंजीकृत सदस्यों की फोटो लगानी चाहिए जिनके लिए जॉब कार्ड जारी किया गया हो।
- जॉब कार्ड पर ऐसे किसी भी व्यक्ति का फोटो, नाम और विवरण नहीं दिया जाना चाहिए जिसे जॉब कार्ड जारी न किया किया गया हो। अगर ऐसे जॉब कार्ड में जिनको इस पत्र से पहले जारी किया गया हो तो अतिशीघ्र उनमें सुधार किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा करते समय यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि काम में बाधा न पहुँचे।

रोजगार का अधिकार

2

पंजीकृत परिवारों के सभी वयस्क सदस्य जिनके नाम जॉब कार्ड में लिखे गए हों अकुशल शारीरिक श्रम करने के अधिकारी हैं। उनको अधिकार है कि वे जितने दिनों का काम करना चाहते हैं उतने दिनों का काम उन्हें दिया जाए जिससे कि एक वित्तिय वर्ष में 100 दिन पूरे हो सकें।

रोजगार पाने के लिए जॉब कार्ड धारकों को ग्राम पंचायत में लिखित आवेदन करना चाहिए। उन्हें काम का समय और अवधि बतानी चाहिए।

बदले में ग्राम पंचायत आवेदकों को तारीख युक्त रसीद देगी।

जैसा कि कहा जा चुका है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 'श्रमिकों के अधिकारों' को सुनिश्चित करने का कानून है, इसलिए सभी को यह जानना आवश्यक है कि श्रमिकों के अधिकार क्या हैं, विशेषतः सरपंचों को इन अधिकारों की जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि वे ही ग्रामीण श्रमिकों के सबसे निकट हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, श्रमिकों को निम्न अधिकार देता है–

- पंजीकृत ग्रामीण परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसका नाम जॉब कार्ड में अंकित है, अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए आवेदन का अधिकारी है।
- सभी पंजीकृत श्रमिक जितने दिनों का काम चाहते हैं, वे उसे पाने के अधिकारी हैं।
- काम के आबंटन की सूचना लिखित में या ग्राम पंचायत दफ्तर में सार्वजनिक सूचना द्वारा दी जानी चाहिए।
- सार्वजनिक सूचना ग्राम पंचायत और ब्लॉक दफ्तर पर दी जानी चाहिए जिसमें काम शुरु होने की तिथि, स्थान, काम का नाम और रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों के नाम होने चाहिए।
- रोजगार, गॉव के पांच किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए जहॉ श्रमिक निवास करते हों।
- अगर काम पांच किलोमीटर के दायरे के बाहर हो तब वह ब्लॉक की सीमा के बाहर न हो। अगर काम ब्लॉक की सीमा के बाहर हो तब श्रमिकों को मजदूरी का दस प्रतिशत अतिरिक्त पाने का अधिकार है।
- अगर ग्राम पंचायत काम देने में असफल होती है तो, कार्यक्रम अधिकारी की भी जिम्मेदारी है कि वह श्रमिकों को काम दे।

यह बात भी जानना आवश्यक है कि किन परिस्थितियों में श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा।

- अगर कोई श्रमिक, दिये गये काम के लिए स्वीकृती नहीं देता/देती है तो उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा।
- अगर वह पन्द्रह दिनों के अन्दर काम मिलने पर भी आवेदक काम पर नहीं आता/आती है तो उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा।
- अगर वह काम से एक सप्ताह अनुपस्थित रहता/रहती है तो उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। परन्तु ऐसे श्रमिक दोबारा काम के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अधिनियम के अनुसार चालू काम में एक तिहाई महिलाओं का होना आवश्यक है।
काम का आबंटन शारीरिक क्षमता के अनुसार ही होना चाहिए। शारीरिक विकलांगता से बाधित व्यक्तियों को भी काम दिया जाना चाहिए।
अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के समुदाय और महिलाएं सभी इस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं।
श्रमिकों को कार्य स्थल पर काम के दौरान दी जाने वाली सुविधाएं जैसे आराम के लिए छाया, पीने के पानी, प्राथमिक उपचार का बक्सा और छः साल से कम आयु के बच्चों की देखभाल के लिए समुचित व्यवस्था होना आवश्यक है।

श्रमिकों के अधिकारों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में चिकित्सा का भी प्रावधान है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है–

- यदि काम के दौरान श्रमिक को चोट लग जाए तो वे निःशुल्क चिकित्सा के अधिकारी हैं।
- यदि काम के दौरान मृत्यु हो जाए या विकलांगता हो जाए तो राज्य सरकार के कानून के अनुसार उन्हें भुगतान दिया जाना चाहिए।
- अगर अस्पताल में उन्हें भर्ती करना आवश्यक है तो राज्य सरकार चिकित्सा का पूरा भार उठायेगी। इसमें अस्पताल में रहने, चिकित्सा, दवाओं और दैनिक भत्ता, जो कि आधे दिन की मजदूरी के बराबर हो, का खर्च सम्मिलित हैं।
- अगर काम के दौरान श्रमिक की मृत्यु होती है या स्थायी विकलांगता होती है तो श्रमिक को कियान्वयन संस्था द्वारा रु0 25000 रुपये की दर पर या ऐसी धनराशि जो केन्द्रिय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए का भुगतान किया जाना चाहिए। यह भुगतान विकलांग व्यक्ति को या मृतक व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाना चाहिए।
- यदि कोई ऐसा किसी श्रमिक, जो काम पर अपने साथ बच्चे को लाता है और उस बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक नुकासान होता है, तो वह श्रमिक उस बच्चे के लिए निःशुल्क चिकित्सा का अधिकारी है। अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो श्रमिक को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सहायता पाने का अधिकार है।

अब तो श्रमिकों को बीमे के अंतर्गत लाया जा रहा है। निम्न बीमा योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों का बीमा किया जाना चाहिए–

- जनश्री बीमा योजना और
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना

सपोतरा पंचायत की सरपंच

राजस्थान के करौली जिले के सपोतरा गॉव की सरपंच ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की सतत् निगरानी के लिए एक अनूठी विधि बनायी है।
सपोतरा पंचायत की पच्चीस वर्षीय सरपंच शकुन्तला मीणा ने इक्कीस सदस्यों की निगरानी समिति बनायी है जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कियान्वयन एवं उसकी प्रगति पर ध्यान रखती है। इस निगरानी समिति के सदस्य सभी कार्य स्थलों पर जा कर यह जॉच करते हैं कि कार्यों को अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप ही किया जा रहा है या नहीं, कार्यों में प्रयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता उचित है या नहीं, कार्यस्थल पर कामगारों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। तथा समिति समय–समय पर मजदूरी भुगतान उचित रूप से हो रहा है या नहीं।
शकुन्तला ने यह भी कदम उठाया है कि कार्यस्थल पर मस्टर रोल हो, कामों में एक तिहाई भागीदारी महिलाओं की हो, सभी दस्तावेजों का रखरखाव और सूचना का सार्वजनिक प्रदर्शन हो।
जब शकुन्तला को यह पता चला कि पंचायत के निवासियों को काम के लिए आवेदन पत्र देने से मना किया जा रहा है तो उन्होंने आवेदन पत्रों को स्वयं बॉटा और पंचायत सचिव को निर्देशित किया कि वह पंचायत समिति के समक्ष उपस्थित हों और आवेदन स्वीकार करें। इसके परिणाम स्वरूप पैंतालीस ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार दिया गया।

काम, नियोजन एवं श्रम बजट

3

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में ग्राम पंचायत को नियोजन की जिम्मेवारी दी गयी है। साथ ही पंचायत के जो काम अधूरे हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना चाहिए।
अधिनियम में निम्न प्रकल्पों को करने का प्रावधन है–

- जल संरक्षण और जल संचय।
- सूखारोध; जिसके अन्तर्गत वनरोपण और वृक्षारोपण।
- सिंचाई नहरें जिसके अन्तर्गत लघु और बडी सिंचाई संकर्म भी शामिल हों।
- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियों के स्वामित्व वाली, भूमि के लिए या भूमि सुधार के हिताधिकारियों की भूमि के लिए या भारत सरकार, इन्दिरा आवास के योजना के अधीन हिताधिकारियों की भूमि के लिए सिंचाई प्रसुविधा का उपबन्ध।
- पारम्परिक जलनिकायों का नवीनीकरण जिसके अन्तर्गत तालाबों का, जलस्रोतों का पुनरूद्धार और शुद्धिकरण हो।
- भूमि विकास।
- बाढ नियन्त्रण जिसके अन्तर्गत जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकासी भी सम्मिलित है।
- सभी मौसमों में पहुॅच का उपबंध करने के लिए ग्रामीण संयोजकताय और
- कोई अन्य कार्य जिसे राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

ये सभी काम ग्राम सभा द्वारा पारित किए जाने चाहिए। कामों को पर्याप्त संख्या में खोला जाना चाहिए जिससे कि काम करने के इच्छुक सभी श्रमिकों को काम मिल सके।

प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना चाहिए। सरपंच, पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सहायक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस ग्राम सभा में वैसे सभी परिवार उपस्थित हों जिनके पास जॉब कार्ड है और उन्होंने नरेगा में काम किया हो।

- इस ग्राम सभा में ग्राम पंचायत, आने वाले वर्ष के लिए श्रम बजट का अनुमान करेगी। श्रम बजट को फार्मों में भरा जाना चाहिए। ये फार्म पुस्तिका के अन्त में दिए गए हैं।
- वह ऐसे कामों का चयन करेगी जो कि अनुमानित श्रम बजट को पूरा करते हों।
- ग्राम पंचायत कार्यदायी संस्था का नाम और प्राथमिकता तय करेगी।

प्रत्येक ग्राम पंचायत के द्वारा नरेगा के कियान्वयन के लिए अलग से बैंक में खाता खोलना चाहिए। इस खाते को संयुक्त रूप से सरपंच और सचिव द्वारा संचालित किया जाएगा। नरेगा के लिए उपलब्ध करायी गयी धनराशि को किसी भी हालात में अन्य कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत केवल उन्हीं कामों पर धन को खर्च करेगी जिन कार्यों को नरेगा के तहत पारित किया गया हो।

सरपंच और सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि नरेगा खातों से वही धन निकाला जाएगा जो वैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। धन के दुरूपयोग को अवैधानिक माना जाएगा और उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

ग्राम पंचायत द्वारा जब 60% धन का उपयोग कर लिया जाएगा तब वह कार्यक्रम अधिकारी अथवा जिला कार्यक्रम समन्वयक को अतिरिक्त धन के लिए आवदेन करेगी।

नियोजन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को निम्न रूप से समझा जा सकता है।

1. ग्राम पंचायत स्तर
- विशेष ग्राम सभा ;2 अक्टूबरद्ध
- ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कामों की सूची
- पन्द्रह दिनों के अन्दर ब्लॉक पंचायत को जमा करना
- अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सभी ग्राम पंचायतों की सूचियों का सम्मिलन करना।

2. ब्लॉक स्तर
- नवंबर के तीसरे सप्ताह में सभी ग्राम पंचायतों के संयोजनों की जॉच करके ब्लॉक पंचायत में जमा करना
- जमा करने के पन्द्रह दिनों के अन्दर ब्लॉक पंचायत द्वारा ब्लॉक संयोजन को अनुमति
- नवम्बर के अन्त में कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक को जमा करना

3. जिला स्तर
- पन्द्रह दिनों के अन्दर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ब्लॉक संयोजनों की जॉच सभी ब्लॉक संयोजनो का सम्मिलन
- जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ब्लॉक संयोजनों के आधार पर श्रम बजट तैयार
- दिसम्बर के तीसरे सप्ताह जिला कार्यक्रम समन्वयक सभी ब्लॉकों के ब्लॉकवार संयोजनों और श्रम बजट जिला पंचायत में जमा करना
- इकतीस दिसम्बर को जिला पंचायत कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किये गये ब्लॉक संयोजको और श्रम बजटों को, तकनीकि और प्रबन्धकीय अनुमोदनों के साथ पारित किया जाए।

नवम्बर 2008 का संशोधन जिसे ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने जारी किया कामों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण है।

इस संशोधन के अनुसार
- सभी कामों को एक विशिष्ट संख्या दी जानी चाहिए। सभी कामों को उन्हीं श्रमिकों द्वारा करवाया जाना चाहिए जिन्हें जॉब कार्ड जारी किये गये हैं और जिन्होंने काम की मांग की हो।
- कार्यस्थल के लिए जारी किये मस्टर रोल पर भी विशिष्ट संख्या अंकित होनी चाहिए और वह कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- कोई भी मस्टर रोल, जिस पर जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं विशिष्ट संख्या नहीं होगी, वह अवैध माना जाएगा। इस प्रकार का मस्टर रोल कार्यक्रम स्थल पर नहीं रखा जाना चाहिए।
- सभी श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही मस्टर रोल पर नाम और मजदूरी के सामने हस्ताक्षर करने चाहिए। सभी मस्टर रोलों की विस्तृत जानकारी रजिस्टर में लिखी जानी चाहिए।

इसी संशोधन में कार्यस्थल से सम्बन्धित अन्य पक्षों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जैसे
- जब कार्य प्रगति पर हो तब उस कार्य में लगे श्रमिकों को अपने ही बीच से कम से कम पांच कामगारों का चयन कर एक समूह बनाना चाहिए जो कम से कम सप्ताह में एक बार सभी बिलों और रसीदों की जॉच तथा उनको सत्यापित कर सकें। इस समूह के सदस्य एक सप्ताह में बदल जाने चाहिए।
- सार्वजनिक जॉच के लिए सभी कार्यों के आदेश और प्रत्येक कार्य की माप पुस्तिका कार्यस्थल पर उपलब्ध होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति मस्टर रोल को, कार्य के सम्पूर्ण काल के दौरान, देख सकता है।
- जॉच एवं निगरानी समिति सभी कार्यों की जॉच करे और उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट को 'कार्य रजिस्टर' में दर्ज करे। इस रिपोर्ट को सामाजिक अंकेक्षण के समय ग्राम सभा को सौंपी जाए।

केन्द्र से 'राष्ट्रीय जॉच अधिकारी' भी जिले का दौरा करते हैं और ग्रामीण विकास मन्त्रालय को रिपार्ट जमा करते हैं।

कामों की जॉच सम्बन्धी आदेश
जनवरी 2006 में एक महत्वपूर्ण आदेश, ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने जारी किया। इसके अनुसार राज्य स्तरीय अधिकारियों को 2% जिला स्तरीय अधिकारियों को 10% ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए।

मजदूरी

4

मजदूरी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार हर श्रमिक जिसने काम किया हो, प्रत्येक दिवस की मजदूरी के आधार पर किए गये काम की पूरी मजदूरी पाने का अधिकारी है।

सरपंच को निम्नलिखित बिन्दुओं को सुनिश्चित करना चाहिए–

- मजदूरी का भुगतान काम समाप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर और किसी भी स्थिति में एक पखवाडे के अन्दर कर दिया जाना चाहिए।
- महिला श्रमिक हो या पुरुष, सभी को लिंग भेद–भाव से परे, समान मजदूरी दी जानी चाहिए।
- भुगतान का आधार काम का माप और प्रमाणित/सक्षम तकनीकि व्यक्ति के सतत् निरक्षण में होना चाहिए।
- सभी मापों को माप पुस्तिका में दर्ज करना चाहिए और भुगतान के समय विवरणों को पढ़कर सुनाना चाहिए।
- मजदूरी का भुगतान बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोले गये खातों से ही किया जाना चाहिए।
- योजना में काम करने वाले सभी श्रमिकों का बैंक या पोस्ट ऑफिस में 'व्यक्तिगत' अथवा 'संयुक्त' खाता होना चाहिए।
- भुगतान किये गए वेतन का विवरण जॉब कार्ड में लिखा जाना चाहिए।

पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व

5

पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत योजना के सभी पक्षों में 'पारदर्शिता और उत्तरदायित्व' स्थापित करने पर अत्यधिक बल दिया गया है।

अधिनियम कहता है कि राज्य सरकार नियम बनाकर कानून के कियान्वयन के सभी स्तारों पर पारदर्शिता और दायित्व सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करेगी। लेकिन सरपंचों को यह समझना होगा कि अपनी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले श्रमिकों के प्रति पारदर्शी होना उनकी जिम्मेवारी है। इससे ही वे नरेगा के कियान्वयन में श्रेष्ठता को पा सकेंगे।
पारदर्शिता रखने के लिए 'सूचना को स्वैच्छिक रूप से जारी करना चाहिए'।

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के नवंबर 2008 के एक आदेश में 'सूचना को स्वैच्छिक रूप से जारी करना' को समझाया गया है। इसमें कहा गया है कि

- कार्य स्थल पर 'नागरिक सूचना पट' लगाना चाहिए।
- प्रत्येक कार्य दिवस की संध्या पर सभी श्रमिकों के समक्ष मस्टर रोलों को पढकर सुनाया जाना चाहिए जिसमें उपस्थिति, कार्य तथा मजदूरी भुगतान का विवरण हो।
- इसी प्रकार कार्यों की माप को भी माप पुस्तिका से पढकर सुनाना चाहिए।

आदेश में यह भी कहा गया है कि

- ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर सूचनाओं को सूचना पट् पर दिखाया जाना चाहिए।
- इन पटों पर कार्यों के आबंटन, प्राप्त राशि और खर्च की गई राशि तथा कार्यों की सूची लिखी जानी चाहिए।

<u>गंजाम से सीखें</u>

गंजाम भारत के एक राज्य उडीसा का जिला है। इस राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सभी श्रमिकों के साथ मीटिंग होती है। इस 'कार्य आरम्भ मीटिंग' में सभी श्रमिकों को कार्य के बारे में सम्पूर्ण जानकारी समझायी जाती है जिस पर उन्हें कार्य करना है।
कार्य का मापन, जिसके आधार पर श्रमिकों को मजदूरी भुगतान किया जाता है, को सरल बनाने के लिए एक विशेष विधि बनाई गयी है। इसमें कार्य स्थल पर ही एक 'नमूना गढ्ढे' को खोदा गया जिससे श्रमिकों को काम तथा दाम के संबंध को समझने में मदद मिली। यह विधि उन श्रमिकों के लिए बहुत लाभदायक हुयी है जो निरक्षर हैं। श्रमिक स्वयं अपने काम और उसके अनुसार मजदूरी की तुलना कर सकते हैं।

सामाजिक अंकेक्षण

6

सामाजिक अंकेक्षण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का एक नवीन पक्ष है सामाजिक अंकेक्षण। भारत में यह पहली बार हो रहा है कि सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। यह एक विशेष ग्राम सभा के माध्यम से होती है।

सामाजिक अंकेक्षण जन निरीक्षण की एक सतत् प्रक्रिया है। यह 'सूचना की स्वैच्छिक घोषणा' का एक प्रभावकारी माध्यम है। सामाजिक अंकेक्षण द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन के सभी चरणों की जॉच की जा सकती है।

सामाजिक अंकेक्षण का मूल उद्देश्य 'जनता के प्रति जवाबदेही' को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन में सुनिश्चित करना है। अतः ग्राम सभा को ग्राम पंचायत के सभी कार्यों की जॉच करना चाहिए।

सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से 'जनता के प्रति जिम्मेवारियों के निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं से समझा जा सकता है।

- पारदर्शिता– प्रशासनिक और निर्णयों की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता।
- भागीदारी – सभी भागीदारों की निर्णय प्रक्रिया और अनुमोदन में भागीदारी।
- चर्चा एवं निर्णय – जहॉ पर पूर्व में ही आवश्यकतानुसार निर्णयों को सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप में सूचित करना।
- जवाबदेही– प्रभावित एवं संबंधित व्यक्तियों को चयनित प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारियों द्वारा सार्थक कार्यवाही कर उनके प्रश्नों के उत्तर और विवरण देने की जवाबदेही है।
- शिकायत निवारण– सामाजिक अंकेक्षण तथा अन्य जन निरीक्षणों से प्राप्त शिकायतों पर लिए गए निर्णयों की जानकारी लोगों को देना।

<u>सामाजिक अंकेक्षण के अनिवार्य अंग</u>

सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा जारी किया गया संशोधन अति महत्वपूर्ण है। यह संशोधन मन्त्रालय ने नवम्बर 2008 में जारी किया। इसके अनुसार–

- सामाजिक अंकेक्षण 6 माह में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए।
- जिला कार्यक्रम समन्वयक अथवा कार्यक्रम अधिकारी कम से कम तीस दिन पूर्व सामाजिक अंकेक्षण की घोषणा करें।
- प्रत्येक सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण समिति का चयन करे। समिति के सदस्य पूर्ण हो चुके कार्य या चालू कार्य में लगे हुए

श्रमिकों में से चुने जाने चाहिए। समिति के सदस्यों की कुल संख्या में एक तिहाई महिलाएं हों।

- कार्यक्रम अधिकारी सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज,जिनमें पूर्ण किए गए दस्तावेज शामिल हों, अथवा उनकी प्रतियॉ ग्राम सभा में जॉच के लिए प्रस्तुत हों।
- ग्राम पंचायत सभी आवश्यक सूचना और दस्तावेज सामाजिक अंकेक्षण समिति के समक्ष पन्द्रह दिन पूर्व रखे।
- सामाजिक अंकेक्षण समिति सभी दस्तावेजों की जॉच करें। कोई भी व्यक्ति ऐसी सूचना जो सार्थक हो सामाजिक अंकेक्षण समिति को जमा कर सकता है।
- कार्यक्रम अधिकरी सभी प्रतिनिधियों और अधिकारियों को जो नरेगा के कियान्वयन से संबंधित हैं, को सामाजिक अंकेक्षण की लिखित सूचना दें। जिससे कि वे सामाजिक अंकेक्षण की सभी प्रक्रियाओं के बारे में सूचित रहें और सामाजिक अंकेक्षण में उपस्थित हो सकें।
- सामाजिक अंकेक्षण समिति, सामाजिक अंकेक्षण से प्राप्त जानकारियों को ग्राम सभा में सार्वजनिक रूप से पढ कर सुनाए और लोगों को ग्राम पंचायत और संबंधित अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने और दस्तावेजों की जॉच का अवसर दिया जाए।
- सामाजिक अंकेक्षण समिति पूर्व के सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट आरम्भ में पढ कर सुनाये।
- सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही को सचिव द्वारा लिखा जाना चाहिए । जिस पर सामाजिक अंकेक्षण की समाप्ति पर सभी भागीदारों के हस्ताक्षर हों। सामाजिक अंकेक्षण में उठाए गए किसी भी मुद्दे पर ध्यान दिया जाना चाहिए और कार्यवाही में लिखा जाना चाहिए।
- सामाजिक अंकेक्षण सभी के लिऐ, जो ग्राम सभा के बाहर के हैं, खुला होना चाहिए जो इसमें भाग लेना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति दर्शक की तरह सामाजिक अंकेक्षण में भाग ले सकते हैं परन्तु प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
- समाजिक अंकेक्षण पूर्ण होने के एक माह के अन्दर' कार्यवाही की रिपोर्ट' एक माह के अन्दर जमा की जानी चाहिए।
- यदि सामाजिक अंकेक्षण में अधिनियम के उल्लंघन की बात सामने आए तो उसे शिकायत के रूप में देखा जाना चाहिए।
- इसी तरह किसी भी प्रकार की वित्तिय अनियमितता के लिए भी सम्बन्धित व्यक्ति की जॉच और पैसा वापस लेने की प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए।
- यह अतिआवश्यक है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के खातों के अंकेक्षण को पारित करने वाले सरकारी अंकेक्षको को सामाजिक अंकेक्षण के दौरान सामने आए वित्तिय अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों को भी देखना चाहिए।
- लोगों को ग्राम पंचायत से या संबंधित अधिकारी से सूचना प्राप्त करने का अवसर दिया जाए।

शिकायत निवारण

7

शिकायत निवारण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में शिकायतों के पंजीकरण और निवारण पर विशेष महत्व दिया गया है। प्राप्त शिकायतों को तुरन्त 'शिकायत रजिस्टर' में दर्ज किया जाना चाहिए।

ऐसे मुद्दों पर जिनसे कामगारों के अधिकारों का हनन हो, शिकायत दर्ज की जा सकती हैं। ये मुद्दे हैं– जॉब कोर्ड जारी करने से मना करना, जॉब कार्डों को सम्बन्धित परिवारों को न देना, रोजगार आवेदन के पन्द्रह दिनों के अन्दर काम न देना, कम मजदूरी का भुगतान करना, दस्तावेजों का और रजिस्टरों का रखरखाव न होना, मशीनों का उपयोग और ठेकेदारों से काम कराना इत्यादि।

शिकायतें दर्ज करने का एक माध्यम निःशुल्क टेलीफोन 'हेल्प लाइन' है। यह राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में एक फोन नम्बर है जिस पर शिकायत निःशुल्क दर्ज की जा सकती है। शिकायतकर्ता को 'हेल्पलाईन' का नम्बर ब्लॉक या जिले से मिल सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पलाईन का नम्बर 180011–0707 है। सभी शिकायतों को शिकायत दर्ज किये जाने के सात दिनों के अन्दर निपटाया जाना चाहिए।

शिकायतों से संबंधित एक पत्र में जिसे ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने नवंबर 2007 में जारी किया, के मुख्य बिन्दु जानना आवश्यक है। श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एन.आर.इ.जी.ए. कानून शिकायत निवारण की विशिष्ट विधि का प्रावधान करता है। ब्लॉक के अन्दर एन.आर.इ.जी.ए. के कियान्वयन से संबंधित शिकायतों पर कार्यक्रम अधिकारी तुरंत ध्यान देंगे। वे शिकायत को 'शिकायत रजिस्टर' में दर्ज करेंगे और सात दिनों के अन्दर उनका निपटारा करेंगे। यदि शिकायतों का निपटारा किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जाना है तो कार्यक्रम अधिकारी, शिकायतों को उस अधिकारी तक प्रेषित करेंगे और शिकायतकर्ता को सूचित करेंगे।

राज्य सरकारें शिकायत निवारण के लिए नियमों को बनाएं और प्रक्रिया को स्थापित करें। इन नियमों की प्रति, हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में मंत्रालय में जमा की जाए। अगर किसी राज्य सरकार ने नियम न बनाएं हों तो वे इस पर तुरन्त अधिनियम की धारा 4 के तहत कार्यवाही करें। उन नियमों में निम्नलिखित बातों को शामिल करें–

- शिकायतें, मौखिक अथवा लिखित रूप में दर्ज की जा सकती है।
- कार्यक्रम अधिकारी और जिला कार्यक्रम समन्वयक के दफ्तरों के महत्वपूर्ण स्तिानों पर शिकायत पेटिका को रखा जाए।
- शिकायतों को 'शिकायत रजिस्टर' में दर्ज किया जाए और निर्धारित समय में निपटाया जाए।
- शिकायतकर्ता को कार्यवाही की लिखित जानकारी दी जाए ।
- शिकायत निवारण का निरीक्षण प्रत्येक माह वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाए।

- प्रत्येक माह क्षेत्रीय समाचार पत्रों में शिकायतों का खुलासा किया जाए ।
- टोल फ्री हेल्पलाईन स्थापित की जाए ।
- अपील की प्रणाली स्थापित की जाए ।
- राज्य स्तरीय अधिकारी को राज्य की शिकायतों के निवारण के लिए नियुक्त किया जाए ।
- प्रत्येक स्तर पर शिकायत निवारण का विस्तृत प्रचार प्रसार किया जाए ।
- शिकायतों की प्राप्ति और निपटारे की मासिक रिपोर्ट ग्राम पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक, राज्य और केन्द्रिय सरकार को भेजी जाए तथा मन्त्रालय के पूर्व निर्धारित प्रारूप में ऑन लाईन भी दर्ज की जाए ।

दस्तावेज, एम.आई.एस और मासिक रिपोर्ट

8

चूँकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में ग्राम पंचायत ही मुख्य कियान्वयन संस्था है, इसलिए उसके स्तर पर ही सभी महत्वपूर्ण आंकडों को जमा किया जाना चाहिए। इन्हीं आंकडों से राष्ट्रीय स्तर पर एनआरईजीए की प्रगति का आंकलन किया जाता है। इन आंकडों में जारी किए गए जॉब कार्डों की संख्या, मस्टर रोलों की सम्पूर्ण जानकारी, पूर्ण कार्यों की सूचना, मजदूरी भुगतान तथा पोस्ट ऑफिस एवं बैंक खातों की सूचना होती है। जिन दस्तावेजों को एक ग्राम पंचायत में भरा और सुरक्षित रखा जाना चाहिए वे हैं—

1. पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र
2. जॉब कार्ड
3. काम के आवेदन
4. विशिष्ट संख्याओं वाले मस्टर रोल
5. पंजीकरण पंजिका
6. जॉब कार्ड जारी पंजिका
7. रोजगार पंजिका
8. परिसंपत्ति पंजिका
9. वित्त संबंधी पंजिका
10. शिकायत पंजिका

ये सभी दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें सभी आंकडे है जो एनआरईजीए की वेबसाइट पर दर्ज किये जाते हैं।

कंप्यूटर आधारित सूचना एवं अनुश्रवण प्रणाली ;एम.आई.एसद्ध में दस्तावेजों से किसी भी ग्राम पंचायत की प्रगति का आंकलन किया जा सकता है। अतः यह दस्तावेज ग्राम पंचायत की तैयारी और उसके द्वारा अधिनियम के पालन के साक्षी होते हैं। इन दस्तावेजों को इस लिए भी सम्भाल कर रखना चाहिए कि वे किसी भी समय ग्राम पंचायत में, किसी भी व्यक्ति द्वारा देखे व जॉचे जा सकें।

सभी ऑकडे, जैसे मस्टर रोल, वित्त की स्थिति ,प्राप्त राशि एवं खर्च की गई राशि पूर्ण एवं अपूर्ण काम, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस से भुगतान की गई मजदूरी, रोजगार सृजन, को कंप्यूटर आधारित सूचना एवं अनुश्रवण प्रणाली ;एम.आई.एसद्ध में दर्ज किया जाना चाहिए। कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी है जिनमें कंप्यूटर स्थापित है लेकिन बहुत पंचायतें ऐसी भी हैं जिनमें कंप्यूटर नहीं हैं।

कार्यस्थल का पर्यवेक्षण, श्रमिकों की उपस्थिति आदि की जिम्मेवारी मेट की होती है, सभी आंकडों को ब्लॉकों के कंप्यूटर केन्द्र तक पहुँचाने की जिम्मेवारी ग्राम रोजगार सहायक की होती है।

नीचे दी गयी विवरणी में आंकडों का संकलन और उसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों तथा संस्थाओं की जानकारी प्रस्तुत की गई हैं।

<u>ग्राम पंचायत = सरपंच</u>
कार्यक्रम अधिकारी से विशिष्ट संख्या वाले मस्टर रोल और नाप पुस्तिका प्राप्त की जाती है।

↓

<u>कार्यस्थल = मेट</u>
मस्टर रोल और माप पुस्तिका को कार्यस्थल पर सम्भालते हैं

↓

<u>ग्राम = निगरानी एवं सतर्कता समिति</u>
सभी दस्तावेजों की जॉच करती है।

↓

<u>ग्राम पंचायत = ग्राम रोजगार सहायक</u>
सभी दस्तावेजों और पंजियों में आंकडों को दर्ज करते हैं। ये ऑकडे मस्टर रोल, माप पुस्तिका तथा अन्य दस्तावेजों से मिलते हैं।

↓

<u>ग्राम रोजगार सहायक</u>
मस्टर रोल, माप पुस्तिका और पंजियों के आंकडे को ब्लॉक में जमा करता है/करती है।

↓

<u>ब्लॉक = कार्यक्रम अधिकारी</u>
सभी दस्तावेजों और ऑकडों की जॉच करते हैं। कंप्यूटर आधारित मासिक प्रगति रिपोर्ट में डालते हैं।

↓

<u>जिला = जिला कार्यक्रम समन्वयक</u>
सभी आकडों का सम्मिलन करते हैं

↓ ↓

राज्य की ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वेबसाइट पर ऑकडों को डाला जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की वेबसाइट पर ऑकडों को डाला जाता है। ये ऑकडे जन सामान्य के लिए उपलब्ध होते हैं।

राष्ट्रीय सूचना एवं अनुश्रवण प्रणाली (एम.आई.एस) पर लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6464 ब्लाकों, 615 जिलों और 34 राज्यों तथा केन्द्र शासित राज्यों की एनआरईजीए की प्रगति देखी जा सकती है। वेबसाइट सूचना के प्रसारण का इलैक्ट्रॉनिक माध्यम है। इस वेबसाइट से कोई भी व्यक्ति सूचना को प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रीय वेबसाइट का पता है– www.nrega.nic.in

<u>सूचना शिक्षा एवं संचार</u>

मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के जिला कार्यक्रम समन्वयक ने श्रमिको तथा ग्रामीणों तक एनआरईजीए की जानकारी पहुँचाने के लिए अनूठे उपायों का उपयोग किया जैसे –

<u>नरेगा रथ</u>

दीवार लेखन – गॉव के घरों की दीवारों पर एनआरईजीए के विषय में जानकारी को नारों के द्वारा पहुँचाया गया।

लेकिन इन सबसे ज्यादा रूचिकर है लकडहारों तथा स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन कराना और उनमें एनआरईजीए की सम्पूर्ण जानकारी देना। इन समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से जानकारी अधिक से अधिक प्रभावकारी तरीके से पहुँचाई जा सकती है।

ध्यान रखें

9

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक कानून है और उसका पालन किया जाना अनिवार्य है। निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखें–

1. मौखिक आवेदनों को मना नहीं करना है।
2. पंजीयन उन सभी स्थानीय निवासियों का करना है जो अकुशल श्रम करने के इच्छुक हों। ऐसा न हो कि केवल गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का पंजीयन किया गया हो।
3. स्थानीय परन्तु पलायन करने वाले परिवारों को पंजीयन के लिए मना नहीं करना है।
4. जाति तथा लिंग भेद के आधार पर पंजीयन के लिए मना नहीं करना है।
5. पंजीयन के आवेदनों की जॉच में देरी नहीं करना है ।
6. परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को अलग–अलग जॉब कार्ड जारी नहीं करना है।
7. जॉब कार्ड में नाबालिगों के नाम दर्ज नहीं करना है।
8. नाबालिगों को काम पर नहीं लगाना है।
9. जॉब कार्ड के लिए शुल्क नहीं लेना है।
10. लाभार्थियों से जॉब कार्ड पर लगने वाली फोटो का शुल्क नहीं लेना है ।
11. कार्यस्थल पर जॉब कार्ड जारी नहीं करना है ।
12. रोजगार के आवेदन को लेने से मना नहीं करना है ।
13. ठेकेदार के द्वारा काम नहीं करवाना है।
14. ऐसी मशीनों का उपयोग नहीं कराना है जिससे श्रमिकों की उपेक्षा हो।
15. चालीस प्रतिशत से अधिक समाग्री पर खर्च नहीं करना है।
16. अधिनियम के अननुबंध 1 के कंडिका 1 के अतिरिक्त कामों को नहीं करवाना है; केन्द्र इसके लिए धनराशि उपलब्ध नहीं करेगाद्ध।
17. जाली नामों को मस्टर रोलों में दर्ज नहीं करना है ।
18. कच्चे मस्टर रोलों का उपयोग नहीं करना है।

आगामी वित्त वर्ष के लिए श्रम अनुमान तथा कार्यों की सूची

प्रदेश ______________________ जिला ______________________

ब्लॉक ______________________ ग्राम पंचायत ______________________

चरण ______________ कुल ग्रामीण परिवार ______________ कुल ग्रामीण बीपीएल परिवार ______________

जरी किए गए जॉब काडों की संख्या ______________ न्यूनतम मजदूरी रु. ______________

भाग 1

क0संख्या	माह	आगामी वित्त वर्ष में काम मांगने वाले परिवारोंकी अनुमानित संख्या	आगामी वित्त वर्ष में सृजित होने वाले मानव दिवसों की अनुमानित संख्या	आगामी वित्त वर्ष में कुल खर्चे (लाख में)	आगामी वित्त वर्ष में 100 दिनों को पूर्ण करने वाले परिवारों की अनुमानित संख्या
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	अप्रैल				
2	मई				
3	जून				
4	जुलाई				
5	अगस्त				
6	सितम्बर				
7	अक्टूबर				
8	नवम्बर				
9	दिसम्बर				
10	जनवरी				
11	फरवरी				
12	मार्च				

भाग 2

कामों की सूची जिनसे रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा	पिछलें वर्ष से शेष कामों की कुल संख्या	चालू वित्त वर्ष में किये जाने वाले कामों की कुल संख्या	चालु वित्त वर्ष से आगामी वित्त वर्ष तक जाने वाले कामों की संख्या	अगले वित्त वर्ष में नये कामों की संख्या	यूनिट (क्यूबिक मी/हे0/किलोमी0)	मानव दिवस जिनका सृजन होगा	टनुमानित लागत (लाख)		
							अकुशल श्रमिक वेतन पर	सामग्री पर जिसमें कुशल एव्र अर्धकुशल श्रमिकों का वेतन शामिल है।	कुल
जल संरक्षण और जल संचय (क्यूबिक मी)									
सूखारोध जिसके अन्तर्गत वनरोपण और वृक्षारोपण (हे0)									
लघु सिंचाई (हे0)									
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियों के स्वामित्व वाली, भूमि के लिए या भूमि सुधार के हिताधिकारियों की भूमि के लिए या भारत सरकार, इन्दिरा आवास के योजना के अधीन हिताधिकारियों की भूमि के लिए सिंचाई प्रसुविधा का उपबन्ध। (हे0)									
पारम्परिक जलनिकायों का नवीनीकरण (क्यूबिक मी0)									
भूमि विकास (हे0)									
बाढ नियन्त्रण एवं सुरक्षा (हे0)									
ग्रामीण पहुॅच (हे0)									
कुल									

नोट:
जल संरक्षण और जल संचय: {नये तालाबों, परकोलेशन तालाब, छोटे चैक डेम, अन्य}
सूखारोध जिसके अन्तर्गत वनरोपण और वृक्षारोपण: {वनीकरण और वृक्षारोपण, अन्य}
लघु सिंचाई: {लघु सिंचाई नहरें, अन्य}
सिंचाई प्रसुविधा । अनुसूचित जाति एवं जनजाति हितग्राही एवं इन्द्रा आवास योजना के धारक।
पारम्परिक जलनिकायों का नवीनीकरण: {तालाबों, नहरों, खुले पारम्परिक कुओं की सफाई}
भूमि विकास: {वृक्षारोपण, भूमि समतलीकरण , अन्य}
बाढ नियन्त्रण एवं सुरक्षा: {जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकास, अन्य}
ग्रामीण पहुॅच

जल संरक्षण और जल संचय: {नये तालाबों, परकोलेशन तालाब, छोटे चैक डेम, अन्य}
सूखारोध जिसके अन्तर्गत वनरोपण और वृक्षारोपण: {वनीकरण और वृक्षारोपण, अन्य}
लघु सिंचाई: {लघु सिंचाई नहरें, अन्य}
सिंचाई प्रसुविधा । अनुसूचित जाति एवं जनजाति हितग्राही एवं इन्द्रा अवास योजना के धारक।
पारम्परिक जलनिकायों का नवीनीकरण: {तालाबों और नहरों की सफाई खुले पारम्परिक कु}
भूमि विकास:
बाढ नियन्त्रण एवं सुरक्षा:
ग्रामीण पहुॅच मार्ग:

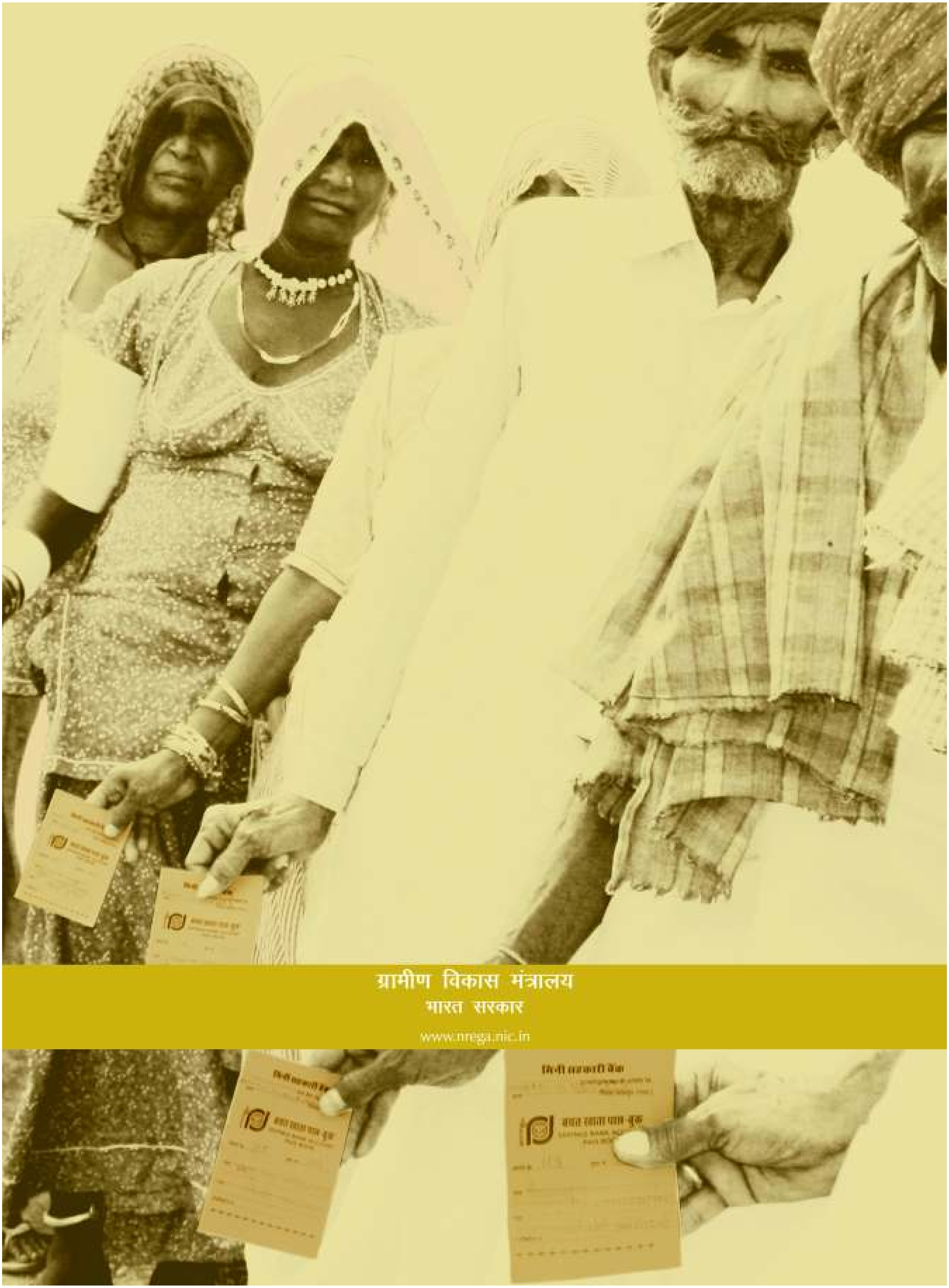

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

www.nrega.nic.in